निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 42 / 20
दायरा दिनांक :– 19.03.2020
निर्णय दिनांक :– 03/10/2025

उनवान

1. कमलेश बाई आयु 30 साल पत्नी मनोज जाति धाकड निवासी इकलेरा तह0 बारां
2. पुनम आयु 10 साल पुत्री मनोज
3. साक्षी आयु 7 साल पुत्री मनोज
4. गरिमा आयु 2 साल पुत्री मनोज नाबालिग जरियेवली माता कमलेश बाई पत्नी श्री मनोज जाति धाकड निवासी ग्राम इकलेरा तहसील बारां जिला बारां

वादीगण–

बनाम

1. मनोज आयु 32 साल पुत्र श्री हरिशकंर जाति धाकड निवासी इकलेरा तह0 बारां जिला बारां राज0
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब बारां जिला बारां
3. उप पंजीयक महोदय, बारां जिला बारां राज0

प्रतिवादी गण–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90, आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 03/10/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री संजय नागर एड़0 – वादीगण

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, आर. टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां जिला बारां मे वादीगण के पति / पिता प्रतिवादी कम 1 मनोज के शामलाती खातेदारी की आराजियात में खाता संख्या नया 184 पुराना 166 में वर्णित खसरा नं0 1383 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 426 रकबा 0.91 हेक्टर व खसरा नं0 428 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नं0 761 रकबा 0.81 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 2.36 हेक्टर स्थित है जिसमे वादीगण के पति / पिता प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1 / 3 है जिसे आगे विवादित भूमि कहा गया है। प्रतिवादी कम 1 मनोज वादीगण के पत्ति / पिता है तथा प्रतिवादी कन 1 जुआ सटटा शराब आदि का बहुत ज्यादा सेवन करते है तथा वह अपनी गलत आदतो की एवज से प्रतिवादी कम 1 अपने हिस्से की 1 / 3 आराजियात को रहन बैचान, खुर्द बुर्द आदि करने पर उतारू है इस बाबत प्रतिवादी कम 1 ने वादीगण को कई बार उसके हिस्से की उक्त आराजियात को रहन बैचान आदि करने की धमकीयां दे चुका है यदि प्रतिवादी कम 1 ने अपने हिस्से की उक्त आराजियात का

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

रहन बेचान कर दिया गया तो वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जबकि उक्त आराजियात पुश्तैनी जायदाद है जिसमें वादीगण का हक व हिस्सा है। इसलिये वादीगण प्रतिवादी कम 1 के हिस्से 1/3 आराजियात में अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर अपना हिस्सा अलग से निश्चित कराके अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। कि आराजियात में खाता संख्या नया 184 पुराना 166 में वर्णित खसरा नं0 1383 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 426 रकबा 0.91 हेक्टर व खसरा नं0 428 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नं0 761 रकबा 0.81 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 2.36 हेक्टर वाके ग्राम इकलेरा बारां जिला बारां राज0 में वादीगण के पति/पिता श्री मनोज का हिस्सा 1/3 में वादीगण पत्नी/पुत्रियां होने के नाते 1/5, 1/5 हिस्सा आराजी को पृथक खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण ने दिनांक 05.03.2020 को प्रतिवादी कम 1 से आपसी सहमति से उनके खाते व हिस्से की आराजियात में वादीगण का निहित हिस्सा आराजी को प्रथक से वादीगण के नाम दर्ज करवाने को कहा तो वह इन्कार हो गये तथा धमकी दी कि वे वादीगण को कुछ भी आराजियात नहीं देगा और अपने हिस्से की आराजियात को रहन बैचान करके मुन्तकित कर देगा। जिससे वादीगण का कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। अतः वाद कारण दिनांक 05.03.2020 को ग्राम इकलेरा तहसील बारा जिला बारां राज० में पैदा हुआ है और वर्तमान में पैदा हो रहा है। वादीगण ने अपने अधिवक्ता द्वारा राज० सरकार को धारा 80 सीपीसी के अन्तर्गत वैधानिक नोटिस दिनांक 12.03.2020 को दे दिया है जो उन्हें प्राप्त हो गया है चूंकि प्रतिवादी कम 01 तत्काल आराजियात को रहन बैचान करने पर आमादा है अतः धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। वाद का मूल्याकन लगान का 60 गुना निश्चित किया जाकर निर्धारित न्यायशुल्क पर वाद पेश है। वाद अवधि मध्य व न्यायालय श्रीमान के न्यायक्षेत्र का है। विवादित आराजियात न्यायालय श्रीमान के न्यायक्षेत्र में स्थित हैं वादीगण के खातेदारी की अधिकारी की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय क्षेत्रान्तर्गत होनी है अतः माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार को सर्वोच्च भूमिस्वामी होने के नाते जरिये तहसीलदार बारां को पक्षकार प्रतिवादी कम 2 के रूप पक्षकार बनाया गया है। अतः संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वाद विचारण सादर डिकी निम्नानुसार जारी फरमाया जावे। कि आराजियात मे खाता संख्या नया 184 पुराना 166 में वर्णित खसरा नं0 1383 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 426 रकबा 0.91 हेक्टर व खसरा नं0 428 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नं0 761 रकबा 0.81 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 2.36 हेक्टर वाके ग्राम इकलेरा बारां जिला बारां राज० में प्रतिवादी कम 1 मनोज के हिस्सा 1/3 में वादीगण को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे तथा वादीगण के हक में खिलाफ प्रतिवादी कम 1 को पाबन्द किया जाये कि वह उक्त आराजियात को रहन बैचान नहीं करे तथा वादीगण को उनके हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
बारां

की आराजियात पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा वादीगण के वैधानिक हिस्से में किसी प्रकार की दखलनदांजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वह प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवायी जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित न्यायालय में उपस्थित नही होने से उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गयी। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम इकलेरा सम्वत 2070–2070 खाता संख्या नया 184 पुराना 166, नकल नामान्तरण संख्या 1057/2015, नकल खतोनी जमाबन्दी ग्राम इकलेरा सम्वत 2066–2069, दिनांक 07.08.2009, नकल खतोनी जमाबन्दी ग्राम इकलेरा सम्वत 2058–2061, नकल खतोनी जमाबन्दी ग्राम इकलेरा सम्वत 2062–2065, दिनांक 27.12.2005, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 श्री कमलेश बाई पत्नि श्री मनोज जाति धाकड निवासी इकलेरा शपथ–पत्र एवं PW2 श्री रामगोपाल पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी इकलेरा शपथ–पत्र पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 कमलेश बाई व PW2 रामगोपाल के बयान दर्ज किये गये।

अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस की गई। बहस मे वकील वादीगण द्वारा बताया कि ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां जिला बारां मे वादीगण के पति/पिता प्रतिवादी कम 1 मनोज के शामलाती खातेदारी की आराजियात में खाता संख्या नया 184 पुराना 166 में वर्णित खसरा नं0 1383 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 426 रकबा 0.91 हेक्टर व खसरा नं0 428 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नं0 761 रकबा 0.81 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 2.36 हेक्टर स्थित है जिसमे वादीगण के पति/पिता प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3 है जिसे आगे विवादित भूमि कहा गया है। प्रतिवादी कम 1 मनोज वादीगण के पत्ति/पिता है तथा प्रतिवादी क्रम 1 जुआ सटटा शराब आदि का बहुत ज्यादा सेवन करते है तथा वह अपनी गलत आदतो की एवज से प्रतिवादी कम 1 अपने हिस्से की 1/3 आराजियात को रहन बैचान, खुर्द बुर्द आदि करने पर उतारू है। प्रतिवादी कम 1 ने अपने हिस्से की उक्त आराजियात का रहन बेचान कर दिया गया तो वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जबकि उक्त आराजियात पुश्तैनी जायदाद है जिसमें वादीगण का हक व हिस्सा है। इसलिये वादीगण प्रतिवादी कम 1 के हिस्से 1/3 आराजियात में अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर अपना हिस्सा अलग से निश्चित कराके अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। कि आराजियात में खाता संख्या नया 184 पुराना 166 में वर्णित कुल 4 किता कुल रकबा 2.36 हेक्टर वाके ग्राम इकलेरा बारां जिला बारां राज0 में वादीगण के पति/पिता श्री मनोज का हिस्सा 1/3 में वादीगण पत्नी/पुत्रियां होने के नाते 1/5, 1/5 हिस्सा आराजी को पृथक खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

एवं नालिशी है। अतः निवेदन है कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वाद विचारण सादर डिकी निम्नानुसार जारी फरमाया जावे। कि आराजियात मे खाता संख्या नया 184 पुराना 166 में वर्णित खसरा नं0 1383 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 426 रकबा 0.91 हेक्टर व खसरा नं0 428 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नं0 761 रकबा 0.81 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 2.36 हेक्टर वाके ग्राम इकलेरा बारां जिला बारां राज० में प्रतिवादी कम 1 मनोज के हिस्सा 1/3 में वादीगण को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे तथा वादीगण के हक में खिलाफ प्रतिवादी कम 1 को पाबन्द किया जाये कि वह उक्त आराजियात को रहन बैचान नहीं करे तथा वादीगण को उनके हिस्से की आराजियात पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा वादीगण के वैधानिक हिस्से में किसी प्रकार की दखलनदांजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

बहस अभिभाषक वकील वादीगण एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां जिला बारां की आराजी मे खाता संख्या नया 184 पुराना 166 में वर्णित खसरा नं0 1383 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 426 रकबा 0.91 हेक्टर व खसरा नं0 428 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नं0 761 रकबा 0.81 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 2.36 हेक्टर स्थित है जिसमे वादीगण के पति/पिता प्रतिवादी कम 1 का शामलाती खातेदारी हिस्सा 1/3 हैं। प्रतिवादी क्रम 1 मनोज वादीगण के पति/पिता है। वादिगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण नम्बर 1057/2015 खाता संख्या 184 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 मनोज को उक्त भूमि अपने पिता से प्राप्त हुई है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त आराजियात पुश्तैनी जायदाद है। पैत्रिक सम्पति में वादिया क्रम–1 पति के जीवित रहते केवल भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। पैत्रिक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। पैत्रिक सम्पति में वादी कम–2 ता 4 का जन्म से अधिकार होने के कारण अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 01 पैत्रिक सम्पति से प्राप्त भूमि को दान एवं बेचान कर सकता है। जिसमें वादीगण कम–2 ता 4 का हक व हिस्सा है। इसलिये वादीगण क्रम 2 ता 4 प्रतिवादी कम 1 के हिस्से 1/3 आराजियात में अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर अपना हिस्सा अलग से निश्चित कराके अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां जिला बारां की आराजी मे खाता संख्या नया 184 पुराना 166 कुल किता 4 रकबा 2.36 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 में वादीगण क्रम 2 ता 4 नाबालिग के जर्येवली माता एवं प्रतिवादी क्रम 01 को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया किया जाना न्यायोचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां जिला बारां की आराजी मे खाता संख्या नया 184 पुराना 166 में वर्णित खसरा नं0 1383 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 426 रकबा 0.91 हेक्टर व खसरा नं0 428 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नं0 761 रकबा 0.81 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 2.36 हेक्टर में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 में से वादीगण क्रम 2 ता 4 नाबालिग के जर्येवली माता एवं प्रतिवादी क्रम 01 को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

द संख्या 42/2020	धारा अन्तर्गत 88,89,90, आर. टी. एक्ट	अन्तिम निर्णय दिनांक : 03/10/2025
मक्ष : श्री विश्वजीत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री संजय नागर एड0	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. कमलेश बाई आयु 30 साल पत्नी मनोज जाति धाकड निवासी इकलेरा तह0 बारां
2. पुनम आयु 10 साल पुत्री मनोज
3. साक्षी आयु 7 साल पुत्री मनोज
4. गरिमा आयु 2 साल पुत्री मनोज नाबालिग जरियेवली माता कमलेश बाई पत्नी श्री मनोज जाति धाकड निवासी ग्राम इकलेरा तहसील बारां जिला बारां

वादीगण–

बनाम

1. मनोज आयु 32 साल पुत्र श्री हरिशकंर जाति धाकड निवासी इकलेरा तह0 बारां जिला बारां राज0
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब बारां जिला बारां
3. उप पंजीयक महोदय, बारां जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण–

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है किः–

वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां जिला बारां की आराजी मे खाता संख्या नया 184 पुराना 166 में वर्णित खसरा नं0 1383 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं0 426 रकबा 0.91 हेक्टर व खसरा नं0 428 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नं0 761 रकबा 0.81 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 2.36 हेक्टर में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3 में से वादीगण क्रम 2 ता 4 नाबालिग के जर्येवली माता एवं प्रतिवादी क्रम 01 को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार.................................रू0 का व्ययानुतोष......................द्वारा............. को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक.03/10/2025.को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		